Order Sheet [Contd] Case No 225/2017 बी.ए

	naturo of
Proceeding	nature of rties or lers where cessary
अभेदक / असियुक्त आकाश की ओर से श्री एम०एस० यादव अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अमियोजक। अधीनस्थ जे०एम०एफ०सी० न्यायालय गोहद से मूल अमिलेख प्र०क० 158/17 पुलिस थाना गोहद वि० आकाश प्राप्त। आवेदक/आरोपी की ओर से अधि. श्री एम०एस० यादव द्वारा द्वितीय नियमित जमानत आवेदनपत्र प्रस्तुत कर प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र प्रस्तुत कर प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र में इस आशय का निवेदन किया है कि प्रकरण में अमियोगपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है एवं सहआरोपी पूरन की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ यालियर के एम.सी.आर.सी. कमांक 4749/17 में आदेश दिनांक 12.05.17 को स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक का अपराध जमानत पाए आरोपी से भिन्न नहीं है। आरोपी तीन माह से अधिक समय से अभिरक्षा में है। प्रकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदक जामानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः उचित प्रतिमूति पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश अयरी का अवलोकन किया गया। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है। अतः आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है। अतः आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है। अतः आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वर्ल दिया है। अतः आवेदक/अभियुक्त के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किये जाने के अवलोकन से दिश्त होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर सहआरोपी क्रसण के सहआरोपी प्रत्निक्त होता है। उकरण के सहआरोपी यूरनिसंह को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालयर द्वारा एम.सी.आर.सी. कमांक 5400/17 में पारित आदेश दिनांक 25. 05.2017 के द्वारा जमानत पर मुक्त किये जाने के आदेश प्रदान किए गए है। आवेदक/अभियुक्त का मामला जमानत पए सहआरोपी से मिन्न नहीं है। प्रकरण में यह परिवर्तित परिस्थितियाँ है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त	

आदेश को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक / अभियुक्त भी समानता के आधार पर जमानत पर मुक्त होने का पात्र है।

परिणामतः आवेदक / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र स्वीकार कर आदेश किया जाता है कि यदि उसकी ओर से संबंधित क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य 60,000 / — रूपए की सक्षम जमानत और इतनी ही राशि का व्यक्तिगत वंधपत्र निम्न शर्तों के अधीन पेश हो तो जमानत पर छोडा जाए।

शर्ते-

- 1. आवेदक / अभियुक्त प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
- 2. इस प्रकार का कोई अन्य अपराध नहीं करेगा।
- साक्ष्य को प्रभावित प्रलोभित नहीं करेगा।
 आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को बापस किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

WITHOUT PRIENTS BUILTING BUILT (वीरेन्द्र सिंह राजपूत)